वृद्ध नागरिकों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय नीति

701. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य लोगों से वृद्ध नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति के प्रारूप के बारे में उनके विचार मांगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विचार अब प्राप्त हो गए हैं और क्या सरकार द्वारा उनकी जांच कर ली गई है ;

(ग) उक्त प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) सरकार वृद्ध नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति को कब तक अन्तिम रूप देकर उसको लागू कर देगी ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) तथा (ख) जी हां। 12 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उत्तर मिल गया है तथा उसकी जांच की गई है। स्वैच्छिक संगठनों तथा विशेषज्ञों से भी टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की गई है।

(ग) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की प्रारूप नीति की मुख्य-मुख्य बातें देते हुए विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिये)**

(घ) अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं। अतः यह सम्भव नहीं है कि राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिए जाने की समय-सीमा बताई जाए।

विवरण

वयोवृद्धों के कल्याण के लिये प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषतायें

(1) सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक कार्यक्रमों में उन वयोवृद्ध महिलाओं की परिस्थितियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनकी आय साधारणतः पुरुषों से कम है, मातृत्व तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों से जिनकी नौकरी निरन्तर अनिश्चित रही है।

(2) असंगठित क्षेत्रों में अंशकालिक या अवैतनिक आधार पर रोजगार जन्य स्थितियों के सृजन द्वारा समाज के आर्थिक जीवन में वयोवृद्धों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(3) नए रोजगार सम्भाव्यताओं के सृजन द्वारा स्वतंत्र रोजगार पाने अथवा करने के लिए वयोवृद्धों को सहायता करने के उपाय किए जाने चाहिए।

(4) देश में विकट बेरोजगारी की समस्याओं के बावजूद कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु शैक्षिक आधार को छोड़कर कम नहीं की जानी चाहिए।

(5) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विशेष सामाजिक समस्याओं पर कार्यदल द्वारा की गई सिफारिश को अर्थात् संगठनात्मक ढांचा तथा कार्यक्रमों को केन्द्र तथा राज्य स्तर पर (1) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (2) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (3) नीति निर्धारित तथा योजनाओं के लिए विशेष कार्यक्रम अर्थात् वयोवृद्धों के लिए गृहों का निर्माण, गृहों में निराश्रित वृद्धों की देखभाल, वयोवृद्धों के जीवन स्तर में सुधार के लिए दिवा देखभाल केन्द्र, उनके लिए फोषण देखभाल सेवायें (पोस्टर केयर सर्विस) इत्यादि को क्रियान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

(6) राज्य-स्तर पर वयोवृद्धों के कल्याण के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए।

(7) विद्यालय तथा कालेज के स्तर पर पाठ्यचर्या के माध्यम से युवाओं में वयोवृद्धों की बदलती आवश्यकताओं

तथा उनके समाज और परिवार का एक अभिन्न अंग होने के बारे में चेतना का प्रसार किया जाना चाहिए ।

(8) परिवारों को विशेष तौर पर निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपने वयोवृद्धों के अनुरक्षण जारी रखने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी माध्यमों से वित्तीय तथा अन्य सामाजिक समर्थन प्रदान किए जाने चाहिए ।

(9) वयोवृद्धों को अपने स्वयं के स्वैच्छिक संगठन तथा सहकारी संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(10) वयोवृद्धों को नीचली मंजिल (भूतल) में मकान प्रदान करते हुए सुविधाएं दी जानी चाहिए । उनसे अस्पतालों में लाईन में खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

(11) स्थानीय निकायों को सभी श्रेणियों के वृद्धों की अत्यंत विशिष्ट प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सेवाओं के साथ सामुहिक आवासों का निर्माण करना चाहिए ।

(12) उन असंगठित सेक्टरों तथा सोसायटी के लिए कार्यक्रम तथा नीति प्रोत्साहन तैयार करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो नियमित पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

(13) अस्पतालों में जरा-चिकित्सा बहिरंग रोगी कक्ष खोले जाए और उनके लिए कम से कम 5% बिस्तर आरक्षित किए जाएं । बड़े शहरों में वयोवृद्धों के लिए सक्षम अस्पताल भी स्थापित किए जाने चाहिए ।

Approval to Welfare Schemes for Gujarat

702. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA : Will the Minister of WELFARE be pleased testate :

(a) what is the number of welfare schemes sent by Government of Gujarat to the Central Government for its approval ;

(b) what is the number of schemes out of them to which approval ha» been given so far and what is the amount provided for the same; and

(c) by when the remaining amount of the sanctioned amount for the schemes is likely to be provided ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) to (c) During the year 1993-94, proposals were received from Government of Gujarat in Ministry of Welfare, Government of India for release of funds under 19 Central and Centrally sponsored Schemes. A sum of Rs. 4840.40 lakhs was released by the Central Government in the Ministry of Welfare for implementation of these Schemes, as per details given in the statement attached.

Statement

Details of funds released to the State of Gujarat during 1993-94 *for Implementation of Central/Centrally sponsored schemes.*

SI.	Name of the icbeme No.	Amount released during 1993-94 (Rs. in lakhs)
Scheduled Tribes Development		
1	Vocational Training Institute . . .	3.46
2	Girls Hostsl for STs	19.51